रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2018 (पौष 23, 1939)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13—JANUARY 19, 2018 (PAUSA 23, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पंजाब नैशनल बैंक

नई दिल्ली-110075, दिनांक 18 दिसंबर 2017

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 कहे जाएंगे।

(2) संबंधित विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन्हें जून, 2005 की दूसरी तिथि से प्रभावी समझा जाएगा।

2. पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 में,-

(i) खंड (जी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

'(जी) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी का पति या पत्नी (जो बैंक का कर्मचारी न हो), पूर्णतया आश्रित अविवाहित संतान (सौतेली और कानूनी तौर पर गोद ली गई आश्रित संतान सहित), और अधिकारी के साथ सामान्य रूप से रहने वाले व उस पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता';

(ii) खंड (ओ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

'(ओ) "पूर्णतया आश्रित संतान अथवा माता-पिता" का तात्पर्य ऐसे संतान अथवा माता-पिता से होगा जिनकी मासिक आय रु.2,550 से अधिक न हो।'

नोट: यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु.2,550 प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय रु.2,550 प्रति माह से अधिक है तो उन्हें अधिकारी/कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा;'

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

'(4) 01 नवंबर, 2002 से प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा :–

(ए) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड :–

वेतनमान VII = रु. 29340 - $\frac{680}{2}$ - 30700 - $\frac{900}{1}$ - 31600 - $\frac{1000}{1}$ - 32600

वेतनमान VI = रु. 26620 - $\frac{680}{4}$ - 29340

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड:

वेतनमान V = रु. 24140 - $\frac{620}{4}$ - 26620

वेतनमान IV = रु. 20480 - $\frac{560}{1}$ - 21040 - $\frac{620}{5}$ - 24140

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड:

वेतनमान III = रु. 18240 - $\frac{560}{5}$ - 21040 - $\frac{620}{2}$ - 22280

वेतनमान II = रु. 13820 - $\frac{500}{1}$ - 14320 - $\frac{560}{10}$ - 19920

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड:

वेतनमान I = रु. 10000 - $\frac{470}{6}$ - 12820 - $\frac{500}{3}$ - 14320 - $\frac{560}{7}$ - 18240

नोट: 31 अक्टूबर 2002 पर लागू वेतनमानों से विनियमित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का 01 नवंबर 2002 को इस उप-विनियम में यथानिर्धारित वेतनमानों में चरण दर चरण आधार पर, अर्थात संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे सदृश चरणों पर, नियतन किया जाएगा और वेतनवृद्धियां, अन्यथा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, सामान्य रूप से वार्षिकी की तिथि पर होंगी।

(4ए) उप-विनियम (1), (2), (3) व (4) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेड में अधिकारी रखना आवश्यक है।'

4. उक्त विनियमों में विनियम 5 के लिए निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'5. वेतनवृद्धियां - (1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 01 नवंबर 2002 को और इसके पश्चात वेतनवृद्धियां निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएंगी, यथा:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में वर्णित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धियां सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर उपार्जित होंगी और देय होने के माह की पहली तिथि को प्रदान की जाएंगी;

(बी) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमान के अधिकतम चरण पर पहुंचने के एक वर्ष बाद, नीचे दिए गए खंड (सी) में यथानिर्दिष्ट के अनुरूप सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके द्वारा दक्षता बार को पार किए जाने की शर्त के अधीन ही अगले उच्चतर वेतनमान में गतिरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित भावी वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी;

(सी) उपर्युक्त खंड (बी) में निर्दिष्ट अधिकारियों सहित मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और III के अधिकतम चरण पर पहुंचने वाले अधिकारी, वेतनमान II और वेतनमान III, जैसा भी मामला हो, के अंतिम चरण पर पहुंचने के बाद प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए गतिरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त करेंगे, बशर्ते वेतनमान II के अंतिम चरण के अधिकारियों को रु.560 प्रत्येक की ऐसी अधिकतम दो वेतनवृद्धियां तथा वेतनमान III के अंतिम चरण के अधिकारियों को रु.620 की ऐसी अधिकतम एक वेतनवृद्धि ही प्रदान की जा सकती है;

और यह कि 01 नवंबर, 1994 को और इसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारी, अर्थात जो अधिकारी वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत किए गए हैं, पहली गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

और यह भी कि पदोन्नति का प्रस्ताव दिए जाने पर इसे अस्वीकार कर देने वाले अधिकारी को अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि(यां)/गतिरोध वेतनवृद्धि(यां) नहीं दी जाएंगी।

नोट: अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान की गई ऐसी वेतनवृद्धियों का तात्पर्य पदोन्नति नहीं होगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के उपरांत भी अधिकारी अपने मूल वेतनमान I अथवा वेतनमान II, जैसा भी मामला हो, के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अथवा पद ही प्राप्त करते रहेंगे।

(2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग I/भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान की जूनियर एसोसिएट परीक्षा तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग II उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

व्याख्या: (ए) ऐसे अधिकारी के मामले में जिसने नियत तिथि से पूर्व एक अधिकारी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग I या भाग II को उत्तीर्ण किया है, अतिरिक्त वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियां, जैसा भी मामला हो, नियत तिथि से प्रभावी होंगी बशर्ते अधिकारी ने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने के लिए कोई भी वेतनवृद्धि प्राप्त न की हो अथवा केवल एक ही वेतनवृद्धि प्राप्त की हो।

(बी) 01 नवंबर, 1987 को और इसके बाद से, जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचते हैं अथवा पहुंच चुके हैं और पदोन्नति को छोड़कर किसी अन्य मार्ग से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, उनको अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर यथाविद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन नीचे दी गई तालिका में यथानिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्रदान किया जाए:

तालिका

जिन्होंने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के भाग I को ही उत्तीर्ण किया है	(i) एक वर्ष पश्चात रु.100 प्रति माह, जिसमें से रु.75 को अधिवर्षिता लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा।
जिन्होंने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(i) एक वर्ष पश्चात रु.100 प्रति माह, जिसमें से रु.75 को अधिवर्षिता लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा। (ii) दो वर्ष पश्चात रु.250 प्रति माह, जिसमें से रु.200 को अधिवर्षिता लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा।

(सी) 01 नवंबर, 1994 को और इसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए, व्यावसायिक योग्यता भत्ता की राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित हो जाएगी:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के भाग I को ही उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.120 प्रति माह
जिन्होंने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.120 प्रति माह; (ii) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु.300 प्रति माह:

और यह कि विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी) के अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र अधिकारी ऐसा नियत व्यक्तिगत भत्ता प्राप्त करने के उपरांत भाग I और II, जैसा भी मामला हो, के लिए एक/दो वर्ष के पश्चात व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करेंगे।

(डी) 01 नवंबर, 1999 को और इसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित हो जाएगी:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट परीक्षा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.150 प्रति माह
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट परीक्षा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग को उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.150 प्रति माह; (ii) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु.360 प्रति माह:

और यह कि वेतनमान I और वेतनमान II के ऐसे अधिकारी जिन्हें उप-विनियम (1) के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे वेतनवृद्धियां प्रदान की जाती हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमानों के अधिकतम तक पहुंचने पर एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के पश्चात व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे।

(ई) 01 नवंबर, 2002 को और इसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित हो जाएगी:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट परीक्षा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.300 प्रति माह
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.300 प्रति माह; (ii) वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु.750 प्रति माह:

और यह कि वेतनमान I और वेतनमान II के ऐसे अधिकारी जिन्हें उप-विनियम (1) के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे वेतनवृद्धियां प्रदान की जाती हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमानों के अधिकतम तक पहुंचने पर एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के पश्चात व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे।

नोट: (i) यदि व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर रहे किसी अधिकारी को अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में फिटमेंट किए जाने पर उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट परीक्षा/इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वेतनमान में वेतनवृद्धियों की उपलब्धता की सीमा के अधीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि(यों) की अनुमति दी जाएगी और यदि वेतनमान में वेतनवृद्धियों की उपलब्धता नहीं है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र होगा।

(ii) 01 नवंबर, 1994 को और इसके बाद से, व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा भी मामला हो, को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अधिवर्षिता लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा।

(iii) पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने वाला अधिकारी उपरोक्तानुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) यदि कोई अधिकारी, वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुंचने के पश्चात् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट परीक्षा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा (एक अथवा दोनों भाग) उत्तीर्ण करता है, तो उसे ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त अनुमत की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की तदनंदर किस्तें व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी किए जाने की तिथि के सन्दर्भ में जारी की जाएंगी।

(v) यदि किसी अधिकारी ने 02 जून, 2005 से पहले ही खंड (iv) में संदर्भित कोई भी उक्त अर्हता प्राप्त की है और ऐसी अर्हता/एं प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन को प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें दिनांक 01 नवंबर 2002 से अथवा ऐसी अर्हता/एं प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, उपरोक्तानुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किया जाएगा।

(3) (ए) 01 नवंबर, 1993 की स्थिति अनुसार बैंक की स्थायी सेवा में होने वाले सभी अधिकारियों को वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी और 01 नवंबर, 1993 पर परिवीक्षाधीन रहने वाले अधिकारियों को सेवा में स्थायी होने के एक वर्ष पश्चात् अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

नोट: अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(बी) 01 नवंबर, 1993 की स्थिति अनुसार वेतनमान के अधिकतम स्तर पर स्थित अथवा गतिरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर रहे अधिकारी 01 नवंबर, 1993 से नियत व्यक्तिगत भत्ता प्राप्त करेगा जिसकी राशि अधिकारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतनवृद्धि और इस पर दिनांक 01 नवंबर, 1993 की स्थिति अनुसार देय महंगाई भत्ते तथा विनियम 22 के अनुसार यथालागू दरों पर मकान किराया भत्ता के कुल योग के बराबर होगी। निम्न तालिका में यथानिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत भत्ता और मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, अगले संशोधन तक मान्य होंगे।

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.1993 की स्थिति अनुसार महंगाई भत्ता	कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की गई है
(ए) रु.	(बी) रु.	(सी) रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(सी) दिनांक 01 नवंबर 1999 को और इसके पश्चात, अन्य बातों के समान रहते हुए, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, के साथ नियत व्यक्तिगत वेतन निम्न तालिका के अनुसार होगा:-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.1997 की स्थिति अनुसार महंगाई भत्ता	कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की गई है
(ए) रु.	(बी) रु.	(सी) रु.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(डी) दिनांक 01 नवंबर 2004 को और इसके पश्चात, अन्य बातों के समान रहते हुए, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, के साथ नियत व्यक्तिगत वेतन निम्न तालिका के अनुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए यह समान रहेगा:-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.2002 की स्थिति अनुसार महंगाई भत्ता	कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की गई है
(ए) रु.	(बी) रु.	(सी) रु.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

नोट: (i) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) और (डी) में दी गई तालिकाओं के कॉलम (सी) के अंतर्गत सूचित नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) और (डी) में यथासूचित (ए)+(बी)+मकान किराया भत्ता होगा जो संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2) एवं (3) में यथानिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान के अर्जित वेतनवृद्धि घटक पर प्राप्त किया जाएगा।

(iii) 01 नवंबर, 1999 को और इसके बाद से, नियत व्यक्तिगत वेतन जारी किए जाने के कारण उप-विनियम (2) की व्याख्या (ग) में यथावर्णित व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

और यह कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई भी क़िस्त जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष स्थानांतरित कर दी गई है और 01 नवंबर, 1999 को अथवा इसके बाद जारी की जानी है तो अधिकारी को यह इस तिथि व इसके बाद से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी क़िस्त, यदि कोई हो, 01 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(iv) नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा।

(ई) उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुके अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पंहुचने के एक वर्ष पश्चात उक्त खंड (बी), (सी) या (डी) में किए गए उल्लेख के अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन की राशि प्राप्त करेंगे।'

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में उप-विनियम (3) के बाद निम्न उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, यथा:-

'(4) 01 नवंबर, 2002 को और इसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी:-

(ए) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 के 2288 अंकों में प्रत्येक 4 अंकों के बढ़ने अथवा घटने के लिए देय होगा।"

(बी) 01 नवंबर, 2002 से 31 जनवरी 2005 की अवधि के दौरान महंगाई भत्ता निम्न दरों के अनुसार देय होगा:-

(i) रु. 9,650 तक 'वेतन' का 0.18% और

(ii) रु. 9,650 से ऊपर और रु.15,350 तक 'वेतन' का 0.15% और

(iii) रु. 15,350 से ऊपर और रु.16,350 तक 'वेतन' का 0.09% और

(iv) रु. 16,350 से ऊपर 'वेतन' का 0.04%

(सी) 01 फरवरी, 2005 को और इसके बाद से, महंगाई भत्ता 'वेतन' का 0.18% की दर से देय होगा।

नोट: (ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ गतिरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन है।

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) की व्याख्या (सी), (डी) और (ई) में यथासूचित व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को महंगाई भत्ता की गणना में शामिल किया जाएगा।'

6. उक्त विनियमों में विनियम 22 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'22. मकान किराया भत्ता- (1)(ए) 01 नवंबर, 1999 को और इसके बाद से, जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसके मौजूदा वेतनमान के पहले स्तर के मूल वेतन के 2.5% के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) 01 नवंबर, 1999 को और इसके बाद से, जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा, यथा:-

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर यथानिर्दिष्ट 'ए' श्रेणी के प्रमुख नगर और समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	प्रति माह वेतन का 9%
(ii) क्षेत्र I के स्थान और समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	प्रति माह वेतन का 8%
(iii) क्षेत्र II, अर्थात वे सभी स्थान जो उपरोक्त (i) व (ii) में नहीं शामिल हैं	प्रति माह वेतन का 7%

और यह कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किराए की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उनको देय मकान किराया भत्ता, उस आवासीय सुविधा के लिए उनके मौजूदा वेतनमान के पहले चरण के 2.5% से ऊपर भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया, अथवा उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता के 150% तक की राशि, जो भी कम हो, होगा।

(2)(ए) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसके मौजूदा वेतनमान के पहले स्तर के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा:

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) 'ए' श्रेणी के प्रमुख नगर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु यदि किसी अधिकारी द्वारा किराए की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उनको देय मकान किराया भत्ता, उस आवासीय सुविधा के लिए उनके मौजूदा वेतनमान के पहले चरण के 1.75 प्रतिशत से ऊपर भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया होगा जिसकी अधिकतम राशि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का 150% होगी।

(3) जहां अधिकारी अपने निजी आवास में रहता है, वह उप-विनियम (1) के खंड (बी) और उप-विनियम (2) के खंड (बी) के प्रावधानों में यथाउल्लिखित आधार पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा, जैसे कि वह नीचे दी गई (ए) अथवा (बी) में से उच्चतर राशि के बारहवें भाग के बराबर राशि का मासिक किराए के रूप में भुगतान कर रहा था:-

(ए)

निम्न का योग:

i) आवास के संबंध में देय नगरपालिका कर; तथा

ii) भूमि की लागत सहित आवास की पूंजीगत लागत का 12% और यदि आवास किसी बिल्डिंग का हिस्सा है तो उस आवास के फलस्वरूप मानी जा सकने वाली भूमि की पूंजीगत लागत का आनुपातिक हिस्सा, एयर कंडिशनर जैसे विशेष फिक्स्चर्स की लागत को छोड़कर; या

(बी)

नगरपालिका द्वारा आवास के मूल्यांकन हेतु लिया जाने वाला वार्षिक किराया मूल्य

व्याख्या:

(1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए "मानक किराया" का अर्थ है:-

(ए) बैंक के स्वामित्व वाले किसी भी आवास के मामले में, ऐसी गणना के लिए सरकारी रूप से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार गणना किया जाने वाला मानक किराया:

(बी) जहां आवास को बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है, बैंक द्वारा देय संविदात्मक किराया अथवा उपरोक्त (ए) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना किया जाने वाला किराया, जो भी कम हो।

(2) मकान किराया भत्ता के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ गतिरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन है।

(3) 01 नवंबर, 1994 से, व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा भी मामला हो, को मकान किराया भत्ता की गणना में शामिल किया जाएगा।'

(4) इस विनियम के उप-विनियम (1) और (2) तथा विनियम 23 के प्रयोजन के लिए क्षेत्र I और क्षेत्र II का अर्थ निम्नानुसार है:-

क्षेत्र I - 12 लाख से अधिक जनसँख्या वाले स्थान।

क्षेत्र II - ऐसे सभी स्थान जिन्हें क्षेत्र I में शामिल नहीं किया गया है।'

7. उक्त विनियमों में विनियम 23 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'23. अन्य भत्ते:-

(1) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर नगर प्रतिपूरक भत्ता हेतु पात्र होगा, यथा,

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(ए) क्षेत्र I तथा गोवा राज्य में स्थित स्थान	मूल वेतन का 4% अधिकतम रु.540 प्रति माह
(बी) 5 लाख व अधिक की जनसँख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर, जो उपरोक्त (ए) द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।	मूल वेतन का 3% अधिकतम रु.375 प्रति माह
(सी) अन्य स्थान	शून्य

(2) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्ता की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगी।

(3) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह ए या समूह बी के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में निर्दिष्ट किया जाना है, तो वह समूह ए या समूह बी के क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार रु.210 प्रतिमाह या रु.185 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

(4) 01 जनवरी, 2004 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है तथा पूर्ववर्ती स्थान पर उसकी एक या अधिक संतान स्कूल या कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो वह स्थानांतरित स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक ऐसी सभी अध्ययनरत संतान हेतु रु.500 प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक वर्ष के मध्य स्थानांतरण हेतु भत्ते का पात्र होगा।

और यह कि पूर्ववर्ती स्थान पर ऐसी सभी संतान का अध्ययन समाप्त होने के साथ ही यह भत्ता भी समाप्त हो जाएगा।

(5) 01 जून, 2005 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद से जुड़ी परिलब्धियों को, अथवा अपने वेतन के साथ-साथ, वेतन के 7.75% की दर से और अधिकतम रु.1500 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिन्हें वह उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त करता:

परंतु यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले तैनात था, तो उसे अपने वेतन के 4% के बराबर और अधिकतम रु.750 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4% के बराबर और अधिकतम रु.750 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ता हेतु पात्र होगा।"

(6) यदि किसी अधिकारी को उच्च वेतनमान में किसी पद पर एक बार में लगातार सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए अथवा एक कैलेंडर माह के दौरान सात दिनों की कुल अवधि के लिए स्थानापन्न करना पड़ता है तो वह अपने स्थानापन्न की अवधि के लिए यथानुपात आधार पर अपने मूल वेतन का 6% स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा, और ऐसे स्थानापन्न भत्ते को केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजन हेतु वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा:

और यह कि जहां अधिकारी विनियम 6 के तहत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न करता है तो वह ऐसे वर्गीकरण की समीक्षा की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा।

(7) यदि अधिकारी ऐसी शाखा में तैनात है जहां 01 अप्रैल और 30 सितंबर को लेखाबंदी होती है, तो वह दोनों लेखाबंदियों में प्रत्येक के लिए रु.250 लेखाबंदी भत्ता हेतु पात्र होगा।

(8) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, यदि किसी कार्यदिवस की अवधि को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभक्त किया जाता है, तो अधिकारी रु.125 प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ता हेतु पात्र होगा।

(9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के दिन वॉल्ट अथवा लॉकर के संरक्षक के रूप में कार्य करना पड़ता है तो वह अपनी पात्रतानुसार दर पर दैनिक भत्ता हेतु पात्र होगा।

(10) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर पर्वतीय और ईंधन भत्ता हेतु पात्र होगा, यथा:-

तालिका

स्थान (1)	दर (2)
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.1150 प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु. 500 प्रति माह
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु. 400 प्रति माह

नोट: (ए) न्यूनतम 750 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, जो पहाड़ियों से घिरे हैं और जिन तक 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना नहीं पहुंचा जा सकता है, तैनात किए जाने वाले अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाली केंद्रों के लिए लागू दर पर पर्वतीय और ईंधन भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(बी) उपरोक्त वर्गीकरण द्वारा कवर न किए जाने वाले किसी भी केंद्र पर वर्तमान में दिया जा रहा पर्वतीय और ईंधन भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा:

और यह कि ऐसे किसी अधिकारी के संबंध में, जो 01 मई, 1989 से पूर्व ऐसे किसी केंद्र में तैनात था और इस तिथि के उपरांत भी उसी केंद्र पर तैनात रहा, तो 30 अप्रैल, 1989 पर उसके द्वारा आहरित की जा रही भत्ता राशि को सुरक्षित रखते हुए उस अधिकारी के उसी केंद्र पर समान वेतनमान में तैनात रहने तक उसे इस राशि का प्रति माह भुगतान किया जाएगा।'

8. उक्त विनियमों में विनियम 24 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'24. चिकित्सा सहायता:-

(1) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए स्वयं द्वारा वास्तविक रूप से किए जाने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित आधार पर पात्र होगा, यथा:-

(ए) चिकित्सा व्यय:- 01 फरवरी 2004 को और उसके बाद से, अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में स्वयं के प्रमाणपत्र के साथ दावा राशि का लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, जैसा कि निम्न तालिका में निर्दिष्ट है, यथा:-

तालिका

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु. 3750 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	रु. 5000 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट: (i) एक अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता को इस प्रकार संचित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसी संचित राशि किसी भी समय उपरोक्तानुसार दी गई अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक न हो;

(ii) वर्ष 2004 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को फरवरी 2004 से दिसंबर 2004 के ग्यारह महीनों के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

व्याख्या- इस विनियम के प्रयोजन हेतु, अधिकारी के "परिवार" का अर्थ वही होगा जो विनियम 3 के खंड (जी) में परिभाषित है।

(बी)(i) अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले सभी मामलों में, अधिकारी के संबंध में 100% तथा उसके परिवार के संबंध में 75% तक अस्पतालीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, अथवा;

(ii) 01 मई 2005 को और उसके बाद से, किसी अधिकारी को इस विनियम के तहत अस्पतालीकरण के व्यय की प्रतिपूर्ति वर्कमेन कर्मचारियों हेतु दिनांक 02 जून 2005 के द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियम और शर्तों के अनुरूप तथा निम्नलिखित तालिका में निर्धारित सीमा के अधीन की जाएगी, यथा:-

तालिका

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और III	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु. 600 प्रति दिन परिवार- रु. 450 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार वर्कमेन कर्मचारियों हेतु लागू अस्पतालीकरण योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 125% तक
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और V और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI और VII	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु. 800 प्रति दिन परिवार- रु. 600 प्रति दिन (ii) अन्य शुल्क वर्कमेन कर्मचारियों हेतु लागू अस्पतालीकरण योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 150% तक";

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में यथानिर्दिष्ट चिकित्सा लाभ (अस्पतालीकरण आदि सहित) के होते हुए भी, और इसके पूर्ण प्रतिस्थापन में, निदेशक मंडल किसी नियत तिथि पर बैंक में उपलब्ध चिकित्सा लाभ (अस्पतालीकरण आदि सहित) को अपरिवर्तित रूप में बनाए रखने का निर्णय ले सकता है और यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्णय लेता है तो सभी अधिकारी केवल चिकित्सा लाभ (अस्पतालीकरण आदि सहित) अनुमत करने की नियत तिथि पर बैंक में विद्यमान नियमों और शर्तों के अनुसार चिकित्सा व्ययों के पुनर्भुगतान के लिए पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा सहायता व अस्पतालीकरण की सुविधाएं निलंबनाधीन अधिकारियों हेतु भी स्वीकार्य होंगी।'

9. उक्त विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'25. आवासीय व्यवस्था: (1) कोई भी अधिकारी किसी अधिकार के तौर पर बैंक द्वारा आवासीय आवास उपलब्ध कराए जाने का पात्र नहीं होगा।

(2) तथापि, बैंक 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा उसके मौजूदा वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर राशि अथवा आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किए जाने पर उसे आवास की सुविधा प्रदान कर सकता है।

यह कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया है तो बैंक द्वारा अधिकारी से उसके मौजूदा वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.4 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि भी वसूल की जाएगी।

यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसा आवास उपलब्ध कराया गया है, बिजली, पानी, गैस व संरक्षण का शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।'

10. उक्त विनियमों में, विनियम 41 में, (ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'(1) 02 जून 2005 को और उसके बाद से, ड्यूटी पर यात्रा करते समय अधिकारी निम्नलिखित के लिए पात्र होगा, यथा:-

(i) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा एसी 2 टियर स्लीपर की यात्रा करने के लिए पात्र है। तथापि, कारोबारी अथवा लोक हित की अत्यावश्यकताओं के कारण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हवाई यात्रा (इकॉनमी श्रेणी) कर सकता है।

(ii) मध्यम प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी या एसी 2 टियर स्लीपर की यात्रा करने के लिए पात्र है अथवा वह यात्रा की दूरी 1000 किमी से अधिक होने पर या कारोबारी अथवा लोक हित की अत्यावश्यकताओं के कारण इससे कम दूरी की यात्रा के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर हवाई यात्रा (इकॉनमी श्रेणी) कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन अथवा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड के अधिकारी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने अथवा हवाई यात्रा (इकॉनमी श्रेणी) करने के लिए पात्र हैं।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन अथवा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड के अधिकारी हवाई मार्ग अथवा रेलमार्ग से जुड़े न हुए स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो, और जब दो स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी को हवाई यात्रा अथवा रेल द्वारा कवर किया जा सकता हो तो सामान्यतया केवल शेष दूरी को ही कार द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

(v) कारोबारी अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य अधिकारी को अपने निजी वाहन अथवा टैक्सी से या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(ए) विराम (हॉल्टिंग) भत्ता- 01 जून, 2005 को और उसके बाद से, अधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार 'प्रति दिन' का विराम भत्ता पाने के पात्र होंगे यथा:-

तालिका

अधिकारियों का ग्रेड/वेतनमान	'ए' श्रेणी के प्रमुख शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV व ऊपर के अधिकारी	600	550	500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	550	500	400

और यह कि वेतनमान-IV व उच्चतर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में आउटस्टेशन कार्य हेतु जाने पर प्रति दिन देय विराम भत्ता रु.700 होगा।

और यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ते का भुगतान उपरोक्त दरों की आधी दर पर किया जाएगा।

व्याख्या- विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से, 'प्रति दिन' का तात्पर्य हवाई यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से गंतव्य पर आगमन के वास्तविक समय तक प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि अथवा उसके किसी भाग से होगा और जहां अनुपस्थिति की अवधि चौबीस घंटों से कम हो, 'प्रति दिन' का तात्पर्य न्यूनतम आठ घंटों की अवधि होगा।'

11. उक्त विनियमों के 42वें विनियम में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(3) 01 अप्रैल 1997 को और उसके बाद से, स्थानांतरण पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए निम्न तालिका के अनुसार निर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे, यथा:-

"तालिका"

ग्रेड	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.5000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.4000

और यह कि 01 मई, 2005 को और उसके बाद से, ऐसा माना जाएगा कि इस उप-विनियम के प्रावधानों में दिए गए "रु.5000" और "रु.4000" के वर्णों एवं संख्याओं को क्रमशः "रु.8750" और "रु.7000" से बदल दिया गया है।"

12. उक्त विनियमों में, विनियम 44 के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'44 छुट्टी यात्रा रियायत:

(1) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा, अथवा; वैकल्पिक रूप से, वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में सबसे छोटे मार्ग से भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

(2) अधिकारी चार वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय अपने विकल्प का प्रयोग करके, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा को छोड़कर) को सरेंडर कर इसका नकदीकरण करा सकता है और ऐसा करने पर वह जेएमजी स्केल I और एमएमजी स्केल II व III के लिए 4500 किमी (एक ओर से) और एसएमजी स्केल IV व उच्चतर के

लिए 5500 किमी (एक ओर से) की दूरी तक अपनी पात्रतानुसार श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अनुमत किराए के 75% के बराबर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत का नकदीकरण करने का विकल्प देते समय नकदीकरण प्राप्ति के ब्लॉक या अवधि के दौरान केवल एक बार अपने लिए अथवा अपने परिजनों के लिए ऐसा दावा कर सकता है और छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का नकदीकरण कराते समय छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते हुए ली जाने वाली विशेषाधिकार छुट्टियों का नकदीकरण कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(3) अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के माध्यम और श्रेणी वही होंगे जिनका अधिकारी सामान्यतया स्थानान्तरण पर यात्रा करते समय पात्र है और बोर्ड द्वारा समय-समय ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के विषय में निर्णय लिया जाएगा जिनके अधीन अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक चार वर्षों में एक बार जब अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो उसे एक बार में अपनी अधिकतम तीस दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी को सरेंडर कर इनका नकदीकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है, अथवा उसे दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी अन्य स्थान की यात्रा करते समय प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिनों या केवल एक ब्लॉक में ही तीस दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी का नकदीकरण कराने के प्रयोजनार्थ छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्राप्त किए जाने के माह के लिए देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी:

और यह कि अधिकारी को उसके विकल्प पर प्रधान मंत्री राहत कोष में दान करने के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए उसे यह राशि उक्त कोष को विप्रेषित करने हेतु बैंक को अधिकृत करते हुए इस आशय का एक पत्र बैंक को देना होगा।'

"पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 के उप-विनियम (2) का संदर्भ लें)

01 नवंबर, 2002 से अधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा जब तक कि इसे पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वापस न ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए:

तालिका

क्र.सं	स्थान जहाँ भत्ता देय है	भत्ता भुगतान दरें	
		रु.10,000/- से रु.14,000/- तक के वेतन (रु.)	रु.14,001/- तथा इससे अधिक के वेतन (रु.)
1.	मिजोरम		
	(ए) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र।	1000	1,300
	(बी) मिजोरम के लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला।	800	1,050
	(सी) मिजोरम का पूरा आइजोल जिला	600	750
2.	नागालैंड	800	1,050
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	(ए) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800	1,050
	(बी) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	1,000	1,300
4.	सिक्किम	1,000	1,300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	1,000	1,300
6.	असम	160	200

क्र.सं	स्थान जहाँ भत्ता देय है	भत्ता भुगतान दरें	
		रु.10,000/- से रु.14,000/- तक के वेतन (रु.)	रु.14,001/- तथा इससे अधिक के वेतन (रु.)
7.	मेघालय	160	200
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा राज्य	 800 600	 1,050 750
9.	मणिपुर	600	750
10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरा अरुणाचल प्रदेश	 1,000 800	 1,300 1,050
11.	जम्मू और कश्मीर (1) कठुआ जिला: ए) नियाबत बानी बी) लोही सी) मल्हार डी) मछोडी	1,000	1,300
	(2) (ए) उधमपुर जिला: (i) इडू बसंतगढ़ (ii) लैंडर भामग इलाका (iii) थकराकोट (iv) नगोट (बी) 2(सी) में शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त मोहरे तहसील के सभी क्षेत्र (सी) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	1,000 1,000 800	1,300 1,300 1,050
	(3) डोडा जिला: किश्तवार तहसील में पैडर और नियाबत नौगांव का इलाका	1,000	1,300
	(4) लेह जिला: जिले के सभी स्थान	1,000	1,300
	(5) बारामूला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज - निराबात, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका (ii) मच्छिल	 1,000 800	 1,300 1050
	(6) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी शहर व सुंदरबनी तथा इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के शेष क्षेत्र।	600	750
	(7) उपर्युक्त (1) से (6) में शामिल न किए गए ऐसे क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी के दायरे में आते हैं अथवा ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने स्टाफ सदस्यों के लिए सीमा भत्ता हेतु पात्र घोषित किया जाता है।	600	750

क्र.सं	स्थान जहाँ भत्ता देय है	भत्ता भुगतान दरें	
		रु.10,000/- से रु.14,000/- तक के वेतन (रु.)	रु.14,001/- तथा इससे अधिक के वेतन (रु.)
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चंबा जिला: 1(ए) पांगी तहसील 1(बी) भरमौर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें और गाँव (i) पंचायतें: बड़गाँव, बाजोल, देओल, कुगती, नयागाम और टुंडा (ii) गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनरसी (2) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (1) बी में शामिल किए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर (3) भटीयात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत मुख्य सहित)	 1,000 800 600	 1,300 1,050 750
	(2) किन्नौर जिला: (ए) असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चरांग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, पूह उप-मंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर (बी) उपर्युक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला	 1,000 600	 1,300 750
	(3) कुल्लू जिला: 3(ए) खरगा, कुशवर और सरगा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र 3(बी) बाहरी-सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) तथा बाहरी सराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर जकात-खाना और निरमंड तहसील के बरो गांवों सहित पूरा जिला	 1,000 600	 1,300 750
	(4) लाहौल तथा स्पीति जिला: लाहौल तथा स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	1,000	1,300
	(5) शिमला जिला: (ए) कूट, लबाना-सदाना,सरपारा और चाडी-ब्रांदा की पंचायतों को मिलाकर रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र (बी) डोरा- कवर तहसील, रामपुर में दरकली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा सराहन परगना के मुनीश, घोरी चायबीस (सी) चोपाल तहसील व सराहन परगना के घोरिस, पंजगाँव, पत्सनाऊ, नौबीस, और तीनकोटि, तकलेश क्षेत्र की देवथी ग्राम पंचायत, बाराबीस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का कस्बा रामपुर और घोरीनोग, शिमला टाउन और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसूम्प्टी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)	 1,000 800 600	 1,300 1,050 750
	(6) कांगड़ा जिला: (ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	 800	 1,050

क्र.सं	स्थान जहाँ भत्ता देय है	भत्ता भुगतान दरें	
		रु.10,000/- से रु.14,000/- तक के वेतन (रु.)	रु.14,001/- तथा इससे अधिक के वेतन (रु.)
	(बी) कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर और नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय जो धर्मशाला शहर में शामिल हैं- महिला आईटीआई, दरी, यांत्रिक वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और शहर एवं ग्राम योजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में स्थित सीआरएसएफ़ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगीयार, एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आईपीएच-उप मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, बिनवा परियोजना, शामनगर। कार्यालय/जर्सी फार्म, बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशॉप/ एचपीपीडबल्यूडी प्रभाग, बुंदला, विद्युत उप-मंडल, लोहना, डीपीओ कारपोरेशन, बुंदला, विद्युत एचईएसईई प्रभाग, घुग्गर	600	750
	(7) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छोहर घाटी, बागरा में थुनाग तहसील की पंचायतें, चत्री, छोटधार, गरागुशाइन, गाटू, गरयास, जंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवन, खोलानल, लोथ, सिलिबागी, सोमचन, थचधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें-बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यर और तरखोला, करसोग तहसील की पंचायतें- बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, माँज, पेखी, सैंज, सराहन और टेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें-बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा।	600	750
	(8) सिरमौर जिला: (ए) बानी, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पांओटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछाड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) की पंचायतें (बी) थानसगिरी ट्रैक्ट	600	750
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	600	750
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद संख्या (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	160	200
13.	उत्तर प्रदेश: चमौली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 2(ए) पिथौरागढ़ जिले तथा उत्तरकाशी (उत्तरकाशी के ज़िला मुख्यालय को शामिल करते हुए) के अन्य क्षेत्र 2(बी) चम्पावत ज़िला (लोहाघाट के क्षेत्रों को शामिल करते हुए)	1,000	1,300
14.	उत्तरांचल: रूद्रप्रयाग तथा चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	800	1,050

पुनीत जैन
महाप्रबंधक - एचआरडीडी

नोट: मूल विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तदनंतर परिवर्तन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे:-

विनियम सं.	अधिसूचना सं.	तिथि	राजपत्र तिथि
5(1), 5(2), 6(2), 12(1), 12(2), 12(3) 19(1), 19(2), 22(2), 23(iv), 23(v), 23(vi), 23(x), 23(xi), 24(1)(b), 41(1)(i), 42(2)(ii), 42(3), 44(ii)	WIE-II-MISC-6	06.11.87	12.12.87
42(4)	-शून्य-	16.03.89	15.04.89
3(ञ), 3(l), 4(1), 5(1), 5(2), 2, 22, 23(i), 23(v), 23(vi), 23(vii), 23(x), 24(1), 25, 34(1), 35, 41, 42(2)(i), 45(2), 46(2)	F-17/2/84-IR	31.07.90	01.09.90
21, 22(2), 24(1), 33(4),	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
23(viii), 41(4), 44(ii)	F-17/2/84-IR	25.02.92	21.03.92
20	WIE-II-MISC-91	26.11.92	12.12.92
49(2)	Nil	06.12.94	07.01.95
4, 5, 21, 22(1), 22(2), 23(i), 24, 25, 41(4), 42(2)(i), 45, 46	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
19(1)	-शून्य-	05.11.96	12.09.97
38	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
12, 23(iii), 23(iv), 23(v), 23(vii), 23(viii), 32(2), 42(2)(i), 42(3)	PL:MR:POL:91	27.05.99	10.07.99
19(1)	PL:MR:POL:91	14.07.2000	19.08.2000
38	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
4(3), 5(1), 21, 22(1), 23(i), 23(v), 23(vi), 23(x), 24(1), 25(1), 35, 36, 41(4), 42(2), 46	PL:MR:POL:91	02.11.2002	28.12.2002
6(2)	HRRD/MR/POL/91	09.03.2006	07.04.2006
5	HRDD/MR/POL/91	04.09.2006	08.09.2006

———————

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन्हें नवंबर, 2007 की पहली तिथि से प्रभावी समझा जाएगा।

2. पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 में,-

(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

'(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी का पति या पत्नी, पूर्णतया निर्भर अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और सामान्यत: अधिकारी के साथ रहने वाले और उस पर पूरी तरह से निर्भर माता-पिता।'

व्याख्या- इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई बच्चा या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन को अधिकारी पर तभी निर्भर माना जाएगा जब ऐसे बच्चे, माता पिता, भाई या बहन की मासिक आय रु. 3500 प्रति माह से अधिक नहीं है।

यह भी कि यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु. 3500 प्रति माह से अधिक हो या माता-पिता दोनों की कुल आय रु. 3500 प्रति माह से अधिक हो, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया निर्भर नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को हटा दिया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में -

(i) उप -विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4ए) को उपरोक्तानुसार हटाए जाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा यथा:-

"(5) 1 नवंबर, 2007 से प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(ए) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VII = रु. 46800-1300/4-52000

वेतनमान VI = रु. 42000-1200/4-46800

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु. 36200-1000/2-38200-1100/2-40400

वेतनमान IV = रु. 30600-900/4-34200-1000/2-36200

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु. 25700-800/5-29700-900/2-31500

वेतनमान II = रु. 19400-700/1-20100-800/10-28100

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु. 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700

व्याख्या- दिनांक 31 अक्टूबर 2007 पर प्रभावी वेतनमानों से विनियमित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का 01 नवंबर 2007 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर, अर्थात संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे सदृश चरणों पर, नियतन किया जाएगा और वेतनवृद्धियां, अन्यथा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, सामान्य रूप से वार्षिकी की तिथि पर होंगी।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) व (5) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेड में अधिकारी रखना आवश्यक है।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में -

(ए) उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 01 नवंबर 2007 को और इसके बाद से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएंगी, यथा:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में वर्णित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धियां सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर उपार्जित होंगी और देय होने के माह की पहली तिथि को प्रदान की जाएंगी;

(बी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I के ऐसे अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के उपरांत मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II में चले गए हैं, प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए चार गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो रू.800 प्रत्येक और अगली दो रू.900 प्रत्येक की होंगी:

परंतु जिन अधिकारियों ने दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद दिनांक 01 नवंबर 2007 को तीन वर्ष या अधिक पूर्ण कर लिए हैं, वे दिनांक 01 नवंबर 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे और दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के छह वर्ष बीत जाने पर 01 नवंबर 2008 को या उसके बाद एक अन्य गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे:

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II के ऐसे अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के उपरांत मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल III में चले गए हैं, प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए रू.900 प्रत्येक की तीन गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे।

परंतु जिन अधिकारियों ने प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद दिनांक 01 नवंबर 2007 को तीन वर्ष या अधिक पूर्ण कर लिए हैं, वे दिनांक 01 नवंबर 2007 से अगली गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे और प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के छह वर्ष बीत जाने पर 01 नवंबर 2008 को या उसके बाद एक तदनंतर गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे:

परंतु यह और कि मूल मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल III में नियुक्त या पदोन्नत हुए अधिकारी प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए रू.900 प्रत्येक की 4 गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे या:

परंतु यह और भी कि ऐसे अधिकारी जो पहले से ही दो गतिरोध वेतनवृद्धियां प्राप्त कर चुके हैं तथा दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 01 नवंबर 2007 को तीन वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें दिनांक 01 नवंबर 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी और दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के छह वर्ष बीत जाने पर 01 नवंबर 2008 को या उसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

व्याख्या- इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान की गई ऐसी वेतनवृद्धियों का तात्पर्य पदोन्नति नहीं होगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के अनुसार रहेंगे।

(बी) उप-विनियम (2) में,-

(i) व्याख्या में खंड (ई) के पश्चात व नोट के पूर्व, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा यथा:-

"(एफ) नवंबर, 2007 के पहले दिन से, अन्य बातों के समान रहते हुए, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि निम्नानुसार संशोधित होगी:-

तालिका

जो इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट अथवा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं	i. वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.410 प्रति माह
जो इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर चुके हैं	i. वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.410 प्रति माह ii. वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु.1030 प्रति माह

यह भी कि यदि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट अथवा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट परीक्षा (एक या दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करता है तो उसे व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से अनुमत की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की तदनंतर किस्तें व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी किए जाने की तिथि के आधार पर जारी होंगी:

और यह भी कि ऐसे मामले में जहां एक अधिकारी ने उपरोक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता पहले से ही प्राप्त कर ली है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन को प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें दिनांक 01 नवंबर 2007 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन अनुमत किया जा सकता है।

(ii) नोट में खंड (v) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा: -

"(v) यदि किसी अधिकारी ने खंड (iv) में संदर्भित कोई भी उक्त अर्हता दिनांक 27 अप्रैल 2010 से पहले ही प्राप्त की है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन को प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें दिनांक 01 नवंबर 2007 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन अनुमत किया जाएगा।"

(सी) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (डी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ई) दिनांक 01 नवंबर 2007 को और इसके पश्चात, अन्य बातों के समान रहते हुए, मकान किराया भत्ता के साथ नियत व्यक्तिगत वेतन निम्न दरों पर दिया जाएगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए यह समान रहेगा:-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.2007 की स्थिति अनुसार महंगाई भत्ता (रु.)	कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की गई है (रु.)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) नोट में, खंड (i) और (ii) के लिए निम्न खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे: -

"(i) खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत दी गई तालिका के कॉलम (सी) में दर्शाए गए नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन का भुगतान उन अधिकारियों को किया जाएगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन खंड (ई) के अंतर्गत दी गई तालिका के कॉलम (ए) और (बी) में निर्दिष्ट राशि और संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) या (5) में निर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त किए जाने पर आहरित मकान किराया भत्ता की राशि का योग होगा";

(iii) नोट के बाद आने वाले खंड(ई) का क्रमांक बदल कर उप-खंड (v) करने के बाद, इस प्रकार क्रमांकित खंड (v) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(v) उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुके अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पंहुचने के एक वर्ष पश्चात उक्त खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) में किए गए उल्लेख के अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन की राशि प्राप्त करेंगे";

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम (3) में नोट को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) में नोट को हटा दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्न उप-विनियम और नोट को जोड़ा जाएगा, यथा-

"(5) 01 नवंबर, 2007 पर और उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 के 2836 अंकों में प्रत्येक 4 अंकों के बढ़ने अथवा घटने के लिए महंगाई भत्ता वेतन के 0.15% की दर से देय होगा।"

व्याख्या- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" से आशय मूल वेतन है और इसमें गतिरोध वेतन वृद्धि शामिल है;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम 2 की व्याख्या (सी), (डी), (ई) तथा (एफ़) में निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ते की गणना में लिया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्न उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

"(1) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से,

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसके मौजूदा वेतनमान के पहले स्तर के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा:

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) 'ए' श्रेणी के प्रमुख नगर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु यदि किसी अधिकारी द्वारा किराए की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उनको देय मकान किराया भत्ता, उस आवासीय सुविधा के लिए उनके मौजूदा वेतनमान के पहले चरण के 1.75 प्रतिशत से ऊपर भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया होगा जिसकी अधिकतम राशि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का 150% होगी।

(2) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से -

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसके मौजूदा वेतनमान के पहले स्तर के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा:

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) 'ए' श्रेणी के प्रमुख नगर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु यदि किसी अधिकारी द्वारा किराए की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उनको देय मकान किराया भत्ता, उस आवासीय सुविधा के लिए उनके मौजूदा वेतनमान के पहले चरण के 1.20 प्रतिशत से ऊपर भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया होगा जिसकी अधिकतम राशि उपर्युक्त कॉलम(2) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का 150% होगी।

नोट- जो अधिकारी अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबद्ध मकान किराया भत्ते का दावा करते हैं, उनके दावे भी अब तक की तरह ही उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता के अधिकतम 150% तक सीमित होंगे।

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में:-

(i) उप-विनियम (1) में, "0"1 नवंबर 2002" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों के स्थान पर "0"1 नवंबर 2007"" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) में, ""0"1 नवंबर 2002" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों के स्थान पर "0"1 नवंबर 2007"" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

(3) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह ए या समूह बी के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में निर्दिष्ट किया जाना है, तो वह समूह ए या समूह बी के क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार रु.290 प्रतिमाह या रु.255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

(4) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है तथा पूर्ववर्ती स्थान पर उसकी एक या अधिक संतान स्कूल या कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो वह स्थानांतरित स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक ऐसी सभी संतान हेतु रु.700 प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक वर्ष के मध्य स्थानांतरण हेतु भत्ते का पात्र होगा, परंतु पूर्ववर्ती स्थान पर ऐसी सभी संतान का अध्ययन समाप्त होने के साथ ही यह भत्ता भी समाप्त हो जाएगा।

(5) 01 मई, 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद से जुड़ी परिलब्धियों को, अथवा अपने वेतन के साथ-साथ, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से और अधिकतम रु.2300 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिन्हें वह उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त करता:

परंतु यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले तैनात था, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर और अधिकतम रु.1200 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर और अधिकतम रु.1200 प्रति माह की सीमा में प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा।";

(iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(8) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि कार्यदिवस की अवधि को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभक्त किया जाता है, तो अधिकारी रु.165 प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते हेतु पात्र होगा।";

(v) उप विनियम (10) में, -

(ए) ""0"1 नवंबर 2002" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों के स्थान पर "0"1 नवंबर 2007"" की संख्याओं, वर्णों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(बी) मौजूद तालिका के लिए, निम्न तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

तालिका

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.550 प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.680 प्रति माह

(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.1570 प्रति माह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में उप-विनियम (1) में खंड (ए) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ए) चिकित्सा व्यय: 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में स्वयं के प्रमाणपत्र के साथ दावा राशि का लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, जैसा कि निम्न तालिका में निर्दिष्ट है, यथा:-

तालिका

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु. 5100 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	रु. 6320 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट- (i) एक अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता को इस प्रकार संचित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसी संचित राशि किसी भी समय उपरोक्तानुसार दी गई अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक न हो;

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को नवंबर 2007 और दिसंबर, 2007 के दो माह के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

व्याख्या- इस विनियम के प्रयोजन हेतु, -

(i) अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले सभी मामलों में, अधिकारी के संबंध में 100 प्रतिशत तथा उसके परिवार के संबंध में 75 प्रतिशत तक अस्पतालीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी अथवा;

(ii) 01 मई 2010 को और उसके बाद से, इस विनियम के तहत अस्पतालीकरण के व्यय की प्रतिपूर्ति वर्क मेन कर्मचारियों हेतु दिनांक 27 अप्रैल 2010 के द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियम और शर्तों के अनुरूप तथा निम्नलिखित तालिका में निर्धारित सीमा के अधीन की जाएगी, यथा:

तालिका

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और III	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु. 700 प्रति दिन परिवार- रु. 525 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार वर्कमेन कर्मचारियों हेतु लागू अस्पतालीकरण योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 125% तक
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और V और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI और VII	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु. 900 प्रति दिन परिवार- रु. 675 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार वर्कमेन कर्मचारियों हेतु लागू अस्पतालीकरण योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 150% तक";

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(2) उप-विनियम (1) में कुछ भी निहित होते हुए, बैंक 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा उसके मौजूदा वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर राशि अथवा आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किए जाने पर उसे आवास की सुविधा प्रदान कर सकता है।

यह कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास के साथ फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया है तो बैंक द्वारा अधिकारी से उसके मौजूदा वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि भी वसूल की जाएगी।

यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसा आवास उपलब्ध कराया गया है, बिजली, पानी, गैस व संरक्षण का शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उक्त विनियमों के 36वें विनियम में, उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, यथा:-

"(3) 01 मई 2010 से, 12 माह की समग्र सीमा के अंदर हिस्टेरेक्टॉमी मामलों में भी अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी स्वीकार की जा सकती है।"

11. उक्त विनियमों के 41वें विनियम के उप-विनियम (4) में खंड (ए) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'(ए) विराम (हॉल्टिंग) भत्ता- 01 मई 2010 और उसके बाद से निम्न तालिका के कॉलम (1) में निर्दिष्ट ग्रेड या स्केल के अधिकारी इसी तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट संगत दरों पर 'प्रति दिन' का विराम भत्ता पाने के पात्र होंगे, यथा:-

तालिका

अधिकारियों का ग्रेड/वेतनमान	'ए' श्रेणी के प्रमुख शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV व ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	800	700	600

और यह कि वेतनमान IV व उच्चतर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में आउटस्टेशन कार्य हेतु जाने पर प्रति दिन देय विराम भत्ता रु.1200/- होगा और स्केल I या II या III के अधिकारियों के लिए यह रु.1000/- प्रति दिन होगा:

और यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ते का भुगतान उपरोक्त दरों की आधी दर पर किया जाएगा।

व्याख्या- विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से, "प्रति दिन" का तात्पर्य हवाई यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से गंतव्य पर आगमन के वास्तविक समय तक प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि अथवा उसके किसी भाग से होगा और जहां अनुपस्थिति की अवधि चौबीस घंटों से कम हो, "प्रति दिन" का तात्पर्य न्यूनतम आठ घंटों की अवधि होगा।'

12. उक्त विनियमों के 42वें विनियम में, उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान जोड़ा जाएगा, यथा:-

"(4) 01 मई 2010 को और उसके बाद से, स्थानांतरण पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए निम्न तालिका के अनुसार निर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे, यथा:-

"तालिका"

ग्रेड	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9,000"

13. उक्त विनियमों के 44वें विनियम में उप-विनियम (3) में, निम्न प्रावधान जोड़ा जाएगा, यथा:-

"यह कि 01 मई 2010 से कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग करते समय न्यूनतम किराया वाले इकॉनोमी श्रेणी में हवाई यात्रा करने हेतु पात्र है। ऐसी दशा में, उसे वास्तविक किराए या यात्रा की दूरी के लिए एसी प्रथम श्रेणी के रेल किराए, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के अधिकारियों द्वारा 1000 किमी से कम की दूरी के लिए अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग करते समय भी यही नियम लागू होगा।""

14. उक्त विनियमों के 45वें विनियम में,-

(i) उप-विनियम (1) में, निम्न प्रावधान जोड़ा जाएगा, यथा:-

"यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी";

(ii) उप-विनियम (3) में खंड (बी) के पश्चात और नोट से पहले निम्न खंड जोड़ा जाएगा, यथा:-

"(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर होने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया है, अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही बने रहेंगे।"

(iii) उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्न उप-विनियम जोड़ा जाएगा, यथा:-

"(4) दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को अथवा इसके पश्चात बैंक में भर्ती होने वाले अधिकारी, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना द्वारा कवर होंगे, जिसमें अधिकारी द्वारा वेतन व महंगाई भत्ते के दस प्रतिशत का अंशदान किया जाएगा और बैंक भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना एफ़.सं. 5/7/2003-ईसीबी व पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के माध्यम से अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का अंशदान करेगा।"

15. उक्त विनियम की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

"पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 के उप-विनियम (2) का संदर्भ लें)

01 नवंबर, 2007 से अधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा जब तक कि इसे पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वापस न ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए:

तालिका

क्र.सं	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम मूल वेतन	रु.14,700/- से अधिक मूल वेतन
1	2	3	4
1.	मिजोरम		
	(ए) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र।	2000	2600
	(बी) मिजोरम के लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला।	1600	2100
	(सी) मिजोरम का पूरा आइजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	2000	2600
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा		
	(ए) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	1600	2100
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा राज्य	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	2000	2600
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरा अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	जम्मू और कश्मीर		
	ए) कठुआ जिला:		
	नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोडी	2000	2600

क्र.सं	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम मूल वेतन	रु.14,700/- से अधिक मूल वेतन
	बी) उधमपुर जिला: (i) डूडू बसंतगढ़, लैंडर भामग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर	2000	2600
	(ii) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	1600	2100
	सी) डोडा जिला: किश्तवार तहसील में पैडर और नियाबत नौगांव का इलाका	2000	2600
	डी) लेह जिला: जिले के सभी स्थान	2000	2600
	ई) बारामूला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज - निराबात, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मच्छिल	1600	2100
	एफ) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी शहर व सुंदरबनी तथा इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के शेष क्षेत्र।	1200	1500
	जी) उपर्युक्त (ए) से (एफ) में शामिल न किए गए ऐसे क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी के दायरे में आते हैं अथवा ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने स्टाफ सदस्यों के लिए सीमा भत्ता हेतु पात्र घोषित किया जाता है।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश (ए) चंबा जिला: (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गाँव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनरसी	2000	2600
	(ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (i) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर	1600	2100
	(iii) भटीयात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत मुख्य सहित)	1200	1500
	(बी) किन्नौर जिला: (i) असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चरांग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, पूह उप-मंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	2000	2600
	(ii) उपर्युक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला	1600	2100
	(सी) कुल्लू जिला: (i) खरगा, कुशवर और सरगा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र	2000	2600
	(ii) बाहरी-सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) तथा बाहरी सराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर जकात-खाना और निरमंड तहसील के बरो गांवों सहित पूरा जिला	1200	1500
	(डी) लाहौल तथा स्पीति जिला:	2000	2600

क्र.सं	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम मूल वेतन	रु.14,700/- से अधिक मूल वेतन
	लाहौल तथा स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र (ई) शिमला जिला: (i) कूट, लबाना-सदाना,सरपारा और चाडी-ब्रांदा की पंचायतों को मिलाकर रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र	2000	2600
	(ii) डोरा- कवर तहसील, रामपुर में दरकली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा सराहन परगना के मुनीश, घोरी चायबीस (iii) चोपाल तहसील व सराहन परगना के घोरिस, पंजगाँव, पत्सनाऊ, नौबीस, और तीन कोटि, तकलेश क्षेत्र की देवथी ग्राम पंचायत, बाराबीस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का कस्बा रामपुर और घोरीनोग, शिमला टाउन और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसूम्प्टी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)	1600 1200	2100 1500
	(एफ़) कांगड़ा जिला: (i) बड़ा भंगल और छोटा भंगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर और नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय जो धर्मशाला शहर में शामिल हैं- महिला आईटीआई, दरी, यांत्रिक वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और शहर एवं ग्राम योजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में स्थित सीआरएसएफ़ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगीयार, एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आईपीएच-उप मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर। पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय- एचपी कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशॉप/ एचपीपीडबल्यूडी प्रभाग, बुंदला, विद्युत उप-मंडल, लोहना, डीपीओ कारपोरेशन, बुंदला, विद्युत एचईएसईई प्रभाग,घुग्गर	1200	1500
	(जी) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छोहर घाटी, बागरा में थुनाग तहसील की पंचायतें, चत्री, छोटधार, गरागुशाइन, गाटू, गरयास, जंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवन, खोलानल, लोथ, सिलिबागी, सोमचन, थचधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें-बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यर और तरखोला, करसोग तहसील की पंचायतें- बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, माँज, पेखी, सैंज, सराहन और टेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें-बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा। (एच) सिरमौर जिला: बानी, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पांओटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछाड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थानसगिरी ट्रैक्ट की पंचायतें (आई) सोलन जिला: मंगल पंचायत	1200 1200	1500 1500

क्र.सं	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम मूल वेतन	रु.14,700/- से अधिक मूल वेतन
	(जे) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद संख्या (ए) से (आई) में शामिल नहीं हैं।	1200 320	1500 400
13.	उत्तराखंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग तथा चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	2000	2600”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियम जिन्हें पूर्व प्रभाव से लागू किया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों के उच्चस्तरीय अधिकारी संघों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के सहमतिप्राप्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार हैं। इस प्रकार ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुनीत जैन
महाप्रबंधक - एचआरडीडी

नोट: मूल विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तदनंतर परिवर्तन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे, यथा :—

विनियम सं.	अधिसूचना सं.	तिथि	राजपत्र तिथि
5(1), 5(2), 6(2), 12(1), 12(2), 12(3) 19(1), 19(2), 22(2), 23(iv), 23(v), 23(vi), 23(x), 23(xi), 24(1)(b), 41(1)(i), 42(2)(ii) 42(3), 44(ii)	WIE-II-MISC-6	06.11.87	12.12.87
42(4)	-शून्य-	16.03.89	15.04.89
3(ङ), 3(l), 4(1), 5(1), 5(2), 2, 22, 23(i), 23(v), 23(vi), 23(vii), 23(x), 24(1), 25, 34(1), 35, 41, 42(2)(i), 45(2), 46(2)	F-17/2/84-IR	31.07.90	01.09.90
21, 22(2), 24(1), 33(4)	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
23(viii), 41(4), 44(ii)	F-17/2/84-IR	25.02.92	21.03.92
20	WIE-II-MISC-91	26.11.92	12.12.92
49(2)	-शून्य-	06.12.94	07.01.95
4, 5, 21, 22(1), 22(2), 23(i), 24, 25, 41(4), 42(2)(i), 45, 46	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
19(1)	-शून्य-	05.11.96	12.09.97
38	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
12, 23(iii), 23(iv), 23(v), 23(vii), 23(viii), 32(2), 42(2)(i), 42(3)	PL:MR:POL:91	27.05.99	10.07.99
19(1)	PL:MR:POL:91	14.07.2000	19.08.2000
38	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
4(3), 5(1), 21, 22(1), 23(i), 23(v), 23(vi), 23(x), 24(1), 25(1), 35, 36, 41(4), 42(2), 46	PL:MR:POL:91	02.11.2002	28.12.2002
6(2)	HRRD/MR/POL/91	09.03.2006	07.04.2006
5	HRDD/MR/POL/91	04.09.2006	08.09.2006

केनरा बैंक

बेंगलूर-560002, दिनांक 29 जून 2017

सं. एचआरडब्ल्यूआईआरएस-228-A एसजे 2914 2017—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1. (1) ये विनियम केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2017 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद कहे गये विनियमों के रूप में संदर्भित), -

विनियम 2, के खंड (ध) में उपखंड (ग) के बाद निम्नांकित उप खंड जोड़ा जाए, अर्थात :–

"(घ) मई 2005 के प्रथम दिवस या उसके बाद सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के संबंध में, बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कर्मचारी द्वारा आहरित, नियत वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, नियत कार्मिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,:

परंतु 01 मई 2005 से प्रभावी इस खंड के प्रावधानों में अप्रैल 1998 के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 से पहले सेवा में सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में प्रभाव पड़ेगा ।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप - विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(4) (क) अधिसूचित तिथि के बाद और 31 मार्च 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में सेवारत हो:"

(ख) उप - विनियम 10 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात :–

"(11) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और 27 अप्रैल 2010 तक बैंक की सेवा में सेवारत रहे हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(12) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे तथा उस तिथि से और 27 अप्रैल 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(13) जो बैंक की सेवा में 29 सितंबर 1995 से पहले थे और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए और मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

(14) जो बैंक की सेवा में 29 सितंबर 1995 से पहले थे, और उस तिथि के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार, पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;"

4. उक्त विनियमों के विनियमन 28 में, प्रावधानों के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात :–

"परंतु यह भी कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 29 सितम्बर 1995 को या उसके बाद सेवा में नहीं थे, लेकिन 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत इस संबंध में बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एवं सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन फंड में शामिल होने के हकदार होंगे ।"

5. उक्त विनियमों के विनियमन 36 में, -

(क) खंड (ग) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात :–

"परंतु 1 मई 2005 को, या से, अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके पश्चात, परंतु 31 अक्टूबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार साठ रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके बाद, सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले

अंशकालिक कर्मचारी की तीन सौ पचपन रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ तीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ पंचानबे रुपये प्रतिमाह होगी ।''

(ख) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंडो को शामिल किया जायेगा, अर्थात :–

"(घ) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार चार सौ पैतीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की चार सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार अस्सी रुपये प्रतिमाह होगी ।

परंतु 1 मई 2005 के प्रथम दिवस से, इस खंड के प्रावधान अंशकालिक कर्मचारी सहित किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे, जो 1 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए ।

(ड़) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो नबम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार सात सौ उन्यासी रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो नबम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की आठ सौ बानबे रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये प्रतिमाह होगी ।''

6. उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (4) में, :–

(i) खंड (क) में, उप-खंड (III) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात :–

'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है ।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;'

(ii) खंड (ख) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात :–

'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है ।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;'

(iii) खंड (ग) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात :–

'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "तीन हजार तीन सौ अठत्तर" को शब्द "तीन हजार पाँच सौ बीस" से प्रतिस्थापित किया गया है ।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल चार हजार सात सौ तिरासी रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल पाँच हजार नौ सौ अट्ठाइस रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

7. उक्त विनियमों के विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"48. बैंकों को हुई आर्थिक हानि की वसूली :–

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिये, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने के आदेश दे सकता है ।

परंतु कोई भी अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जायेगा ।

परंतु जहां पेंशन के एक अंश रोक दिया गया है या आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की रकम इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी:

परंतु यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी तथा प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जायेगी तथा समाप्त की जायेगी मानो कर्मचारी सेवा में है ।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी ।

परंतु इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहाँ वसूली सामान्यता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी ।

8. उक्त विनियमों के विनियम 52 में :–

(क) उप-विनियमन (1) के लिये, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(1) किसी कर्मचारी के संबंध में जहां विनियम 34 या विनियम 46 के प्रावधान लागू होते हैं, परिवार की पेंशन के अलावा एक पेंशन उस तारीख से देय होगी, जिस पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।"

(ख) उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान को शामिल किया जायेगा :–

"परंतु 27 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने वाले को परिवार पेंशन सहित पेंशन 27 नवंबर 2009 से लागू होगी ।''

9. उक्त विनियम के परिशिष्ट II में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट II

(विनियम 37 देंखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :–

(1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 01 नवंबर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात परंतु 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(i) रु. 1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(ii) रु. 1251/- से रु. 2000/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 1250/- से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत
(iii) रु. 2001/- to रु. 2130/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा रु. 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत ।

(iv) रु 2130/- से अधिक	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।

(2) कामगार श्रेणी के जो कर्मचारी 01 नवंबर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(i) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत
(ii) रु. 2401/- से रु. 3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत ।
(iii) रु. 3851/- से रु. 4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु. 3850/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।
(iv) रु. 4100/- से अधिक	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत ।

(3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :–

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(i) रु. 3380/- तक	0.25 प्रतिशत
(ii) रु. 3381/- से रु. 5420/-	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत ।
(iii) रु. 5421/- से रु. 5770/-	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5420/- से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत ।
(iv) रु. 5770/- से अधिक	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- और रु. 5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत ।

परंतु, 1 मई 2005 पर या से कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात लेकिन 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :–

	मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(i)	रु. 3550/- तक	0.24 प्रतिशत
(ii)	रु. 3551/- से रु. 5650/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 3550/- से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत ।
(iii)	रु. 5651/- से रु. 6010/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु. 5650/- से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत ।
(iv)	रु. 6010/- से अधिक	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- और रु. 5650/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत ।

(4) 1 मई 2005 पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी :–

परंतु 1 मई 2005 पर या से, कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड की शर्तों के अनुसार देय होगी :

परंतु 1 नवंबर 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.15 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी :–

(5) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिये और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर और 01 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिये देय होगा ।

(6) परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के संबंध में महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी ।

(7) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राशि की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जायेगी ।

(8) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं हैं ।

(9) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा ।

10. उपरोक्त विनियमों में परिशिष्ट III के लिये निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"परिशिष्ट III

(विनियम 39 देखें**)**

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :–

(क) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था :–

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु. 1500/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 375/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
रु. 1501/- से रु. 3000/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 450/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
रु. 3000/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 600/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 1250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(ख) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था :–

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु. 2870/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 720/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
रु. 2871/- से रु. 5740/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 860/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।

रु. 5740/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1150/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 2400/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(ग) 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में :—

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 4040/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1015/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
रु. 4041/- से रु. 8080/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1212/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
रु. 8080/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1616/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 3378/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात परंतु 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :—

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 4210/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1056/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।
रु. 4211/- से रु. 8420/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार

	पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1262/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।
रु. 8420/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1687/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 3521/- प्रतिमाह होगा ।

(घ) 01 मई 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में :–

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 5720/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1435/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।
रु. 5721/- से रु. 11440/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1715/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।
रु. 11440/- अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2292/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 4784/- प्रतिमाह होगा ।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके पश्चात परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस खंड के अनुसार निम्न होंगी.

(ड़) 01 मई 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में :–

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 7090/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1779/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।

रु. 7091/- से रु. 14180/-	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2186/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा ।
रु. 14180/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2841/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 5930/- प्रतिमाह होगा ।

टिप्पणी :–

(1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा ।

(2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (ध) में निर्धारित 'वेतन' तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा

(3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी ।

(4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए । लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी ।'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिये सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है । इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

के विरुपाक्ष
महा प्रबंधक

पादटीका : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में 29.09.1995 को प्रकाशित किया गया था तथा बाद में निम्नवत संशोधित किया गया :

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	आईआरएस जी -228 9348	01.05.1999
2.	आईआरएस जी - 228 (शुद्धि-पत्र)	07.08.1999
3.	आरएस 3812 ए228 आईआरएस	30.11.2002
4.	पीडब्लू आईआरएस 1 3513 2010	20.11.2010
5.	एचआरडब्लू आईआरएस -एसजे 1 2305 2013	22.02.2014

PUNJAB NATIONAL BANK

New Delhi–110075, the 18th December 2017

In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3, -

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

'(g) ''Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs.2,550 per month'.

Note: If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;'

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade :

$$\text{Scale VII} = \text{Rs. } 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs. } 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(b) Senior Management Grade :

$$\text{Scale V} = \text{Rs. } 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs. } 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(c) Middle Management Grade :

$$\text{Scale III} = \text{Rs. } 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs. } 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(d) Junior Management Grade :

$$\text{Scale I} = \text{Rs. } 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-

'5. Increments – (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian institute of Bankers	(i) Rs. 100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian institute of Bankers	(i) Rs. 100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian institute of Bankers or Part-I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii) Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note: (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers / Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above, if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993, shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993 will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of

November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised:-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below:-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs	(B) Rs	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.'

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

'(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under :-

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates:-

(i) 0.18% of 'pay' upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus

(iii) 0.09% of 'pay' above Rs.15,350 and upto Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs.16,350

(c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance - (1)(a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above.	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2)(a) On and from the 1st day of November, 2002 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A.	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of :-

i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

(1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -

(a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:

(b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.

(2) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.

(4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area-II shall mean as under:-

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs.

Area II - All places not included in Area-I.'

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely:-

'23. Other Allowances:-

(1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

(2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

(6) if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

(7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

(8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month.

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

(10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres.	2 ½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 meters and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.'

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely :—

'24. Medical Aid :—

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely :-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i,e. from February 2004 to December 2004.

Explanation:- "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

(b)(i) Hospitalization charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalization expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalization Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III	(i) Bed Charges Self – Rs.600 per day. Family – Rs.450 per day. (ii) Other Charges – At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII	(i) Bed Charges Self – Rs.800/- per day. Family – Rs.600/- per day. (ii) Other Charges – At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to the workmen employees.

(2) Notwithstanding the medical benefits(including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits(including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms & conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits(including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalization facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9 In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation: (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41, – for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

'(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while travelling on duty, namely:-

(i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2 tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air(economy class).

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) Halting Allowance.- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely :-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale-IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation : For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

'(3) On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulations shall be substituted, namely:-

'44 Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms. (one way) for officers in SMG Scale-IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms & conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

Schedule to Punjab National Bank (Officers) Service Regulations, 1979

(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman(including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200
8.	Tripura		
	(a)Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas	600	750
9	Manipur	600	750
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	800	1,050
11	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udhampur District	1,000	1,300
	(i) Dudu Basantgarh		
	(ii) Lander Bhamag Illaqa		
	(iii) Thakrakote		
	(iv) Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c)	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	800	1,050
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(5) Barmulla District		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	1,000	1,300
	(b) Matchill	800	1050
	(6) Poonch and Rajouri District:	600	750
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.		
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	1(a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
	1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil	800	1,050
	(i) Panchayats : Badagaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah.		
	(ii)Villages : Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1. b above		750
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper)	600	
	(2) Kinnaur District:		1,300
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above	1,000	
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District:		
	3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand.)	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District:	1,000	1,300
	Entire area of Lahaul and Spiti		
	(5) Shimla District:		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi- Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram	600	750
	Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil,		

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu.) (6) Kangra District : (a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal (b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H, Sub Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar. (7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushian, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block-Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil - Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil-Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri & Shoja.	800 600 600	1050 750 750
	(8) Sirmaur District: (a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil) Bharog Bheneri(Paonta Tehsil) Birla (Nahan Tehsil) Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga(Nahan Tehsil) (b) Thansgiri Tract (9) Solan District: Mangal Panchayat (10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	600 600 160	750 750 200
13.	Uttar Pradesh; Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi(including District Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14	Uttranchal: Areas under Rudraprayag and Champavat Districts	800	1,050

PUNIT JAIN
GENERAL MANAGER – HRDD

Notes: The principal regulations were published in the official Gazette. The subsequent amendments were notified vide following notifications:

Regulation No.	Notification No.	Date	Date of Gazette
5(1), 5(2), 6(2), 12(1), 12(2),12(3) 19(1), 19(2),22(2), 23(iv), 23(v), 23(vi), 23(x), 23(xi), 24(1)(b), 41(1)(i), 42(2)(ii) 42(3), 44(ii)	WIE-II-MISC-6	06.11.87	12.12.87
42(4)	Nil	16.03.89	15.04.89
3(K), 3(l), 4(1), 5(1), 5(2), 2, 22,23(i), 23(v), 23(vi), 23(vii), 23(x), 24(1), 25, 34(1), 35, 41, 42(2)(i), 45(2), 46(2).	F-17/2/84-IR	31.07.90	01.09.90
21, 22(2), 24(1), 33(4),	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
23(viii), 41(4), 44(ii)	F-17/2/84-IR	25.02.92	21.03.92
20	WIE-II-MISC-91	26.11.92	12.12.92
49(2)	Nil	06.12.94	07.01.95
4, 5, 21,22(1), 22(2), 23(i), 24, 25, 41(4), 42(2)(i), 45, 46	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
19(1)	Nil	05.11.96	12.09.97
38	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
12, 23(iii), 23(iv), 23(v), 23(vii), 23(viii), 32(2), 42(2)(i), 42(3)	PL:MR:POL:91	27.05.99	10.07.99
19(1)	PL:MR:POL:91	14.07.2000	19.08.2000
38	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
4(3), 5(1), 21, 22(1), 23(i), 23(v), 23(vi), 23(x), 24(1), 25(1), 35, 36, 41(4), 42(2), 46	PL:MR:POL:91	02.11.2002	28.12.2002
6(2)	HRRD/MR/POL/91	09.03.2006	07.04.2006
5	HRDD/MR/POL/91	04.09.2006	08.09.2006

In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. In the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

(ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5-– 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.".

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs. 800 each and next two Rs. 900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.";

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.";

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

"(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

"(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words "1st day of November 2002, the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.";

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November, 2007" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii)Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month";

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27thday of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i)Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.";

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to

1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.".

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to `per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major `A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000".

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.".

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.";

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.";

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

"Schedule to Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram (a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura (a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District:		
	Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District :		
	All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District :		
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District	2000	2600
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil,Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District: (i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

PUNIT JAIN
General Manager – HRDD

Notes: The principal regulations were published in the official Gazette. The subsequent amendments were notified vide following notifications, namely :—

Regulation No.	Notification No.	Date	Date of Gazette
5(1), 5(2), 6(2), 12(1), 12(2), 12(3) 19(1), 19(2), 22(2), 23(iv), 23(v), 23(vi), 23(x), 23(xi), 24(1)(b), 41(1)(i), 42(2)(ii) 42(3), 44(ii)	WIE-II-MISC-6	06.11.87	12.12.87
42(4)	Nil	16.03.89	15.04.89
3(K), 3(l), 4(1), 5(1), 5(2), 2, 22, 23(i), 23(v), 23(vi), 23(vii), 23(x), 24(1), 25, 34(1), 35, 41, 42(2)(i), 45(2), 46(2).	F-17/2/84-IR	31.07.90	01.09.90
21, 22(2), 24(1), 33(4)	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
23(viii), 41(4), 44(ii)	F-17/2/84-IR	25.02.92	21.03.92
20	WIE-II-MISC-91	26.11.92	12.12.92
49(2)	Nil	06.12.94	07.01.95
4, 5, 21, 22(1), 22(2), 23(i), 24, 25, 41(4), 42(2)(i), 45, 46	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
19(1)	Nil	05.11.96	12.09.97
38	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
12, 23(iii), 23(iv), 23(v), 23(vii), 23(viii), 32(2), 42(2)(i), 42(3)	PL:MR:POL:91	27.05.99	10.07.99
19(1)	PL:MR:POL:91	14.07.2000	19.08.2000
38	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
4(3), 5(1), 21, 22(1), 23(i), 23(v), 23(vi), 23(x), 24(1), 25(1), 35, 36, 41(4), 42(2), 46	PL:MR:POL:91	02.11.2002	28.12.2002
6(2)	HRRD/MR/POL/91	09.03.2006	07.04.2006
5	HRDD/MR/POL/91	04.09.2006	08.09.2006

Canara Bank

Bangalore-560002, the 29th June 2017

No. HRW:IRS:228A:SJ:2914:2017—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulations may be called the "Canara Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2017."

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), -

In regulation 2, in clause (s), after sub-clause(c), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(d) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the first day of May, 2005 the basic pay including stagnation increments, if any, and Special pay, Graduation Pay, Professional Qualification Pay, increment component of Fixed Personal Pay and Officiating Pay, if any, drawn by the employee during the last ten months of his service in the Bank:

Provided that with effect from 1st day of May, 2005 the provisions of this clause shall have effect in relation to an employee who retired or died while in service on or after 1st day of April, 1998 but before 30th day of April, 2005."

3. In regulation 3 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(4) (a) join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March, 2010:"

(b) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely :—

"(11) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and continue in the service of the Bank as on the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirement and comply with the conditions laid down in the settlement;

(12) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and retired after that date and prior to the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirements and comply with the conditions laid down in the settlement;

(13) were in the service of the Bank, prior to the 29th September, 1995 retired after that date and had died in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meets the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement;

(14) were in the service of the bank prior to the 29th September, 1995 and died while in service of the Bank after that date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meet the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement."

4. In regulation 28 of the said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that employee who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme."

5. In regulation 36 of the said regulations,-

(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that on and from the 1st day of May, 2005 the amount of minimum pension, in respect of an employee, other than a part-time employee, who retired on or after the 1st April, 1998 but before the 31st October, 2002 shall be rupees one thousand and sixty per month and rupees three hundred and fifty five in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and thirty in respect of a part-time employee drawing ½ scale wages and rupees seven hundred and ninety five in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after 1st day of April, 1998."

(b) after clause (c), the following clauses shall be inserted namely :—

"(d) rupees one thousand four hundred and thirty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of May 2005 and rupees four hundred and eighty per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees seven hundred and twenty per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages and rupees one thousand and eighty per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of May 2005:

Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this clause shall also apply to an employee including a part-time employee who retired on or after 1st November 2002 but on or before 30th April 2005.;

(e) rupees one thousand seven hundred and seventy nine per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2007 and rupees five hundred and ninety five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees eight hundred and ninety two per month in respect of part-time employee drawing ½ scale of wages and rupees one thousand three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2007."

6. In regulation 40, of the said regulations, in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after sub-clause (iii), the following proviso and clauses shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words "six thousand seven hundred and fifty six", the words "seven thousand and forty", had been substituted.;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005;'

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007."

(ii) in clause (b), after sub-clause (iii), the following proviso and clauses shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words "six thousand seven hundred and fifty six", the words "seven thousand and forty", had been substituted;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005;'

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(iii) in clause (c), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words "three thousand three hundred and seventy eight," the words "three thousand five hundred and twenty," had been substituted;

(iv) four thousand seven hundred and eighty three rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.'

(v) five thousand nine hundred and twenty eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

7. For regulation 48 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"48. Recovery of pecuniary loss caused to Bank :—

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or for acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that the departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

(2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institutions:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee."

8. In regulation 52 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 34 or regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires."

(b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees' Pension Scheme on or after the 27th April, 2010 shall be payable with effect from the 27th November, 2009."

9. For Appendix II to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"Appendix II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :—

(1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers' cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs.1250	0.67 per cent
(ii) Rs. 1251/- to Rs. 2000/-	0.67 per cent of Rs. 1250/- plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250/-.
(iii) Rs. 2001/- to Rs. 2130/-	0.67 per cent of Rs. 1250/- plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000/- and Rs. 1250/- plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000/-.
(iv) Above Rs. 2130/-	0.67 percent of Rs. 1250/- plus 0.55 percent the difference between Rs. 2000/- and Rs. 1250/- plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130/- and Rs. 2000/- plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130/-.

(2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers' cadre and who retire on or after the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs. 2400/-	0.35 per cent
(ii) Rs. 2401/- to Rs. 3850/-	0.35 percent of Rs. 2400/- plus 0.29 percent of basic pension in excess of Rs. 2400/-
(iii) Rs. 3851/- to Rs. 4100/-	0.35 percent of Rs. 2400/- plus 0.29 percent of the difference between Rs. 3850/- and Rs. 2400/- plus 0.17 percent of basic pension in excess of Rs. 3850/-
(iv) above Rs.4100/-	0.35 per cent of Rs. 2400/- plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850/- and Rs. 2400/- plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100/- and Rs. 3850/- plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100/-

(3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs. 3380/-	0.25 per cent
(ii) Rs. 3381/- to Rs. 5420/	0.25 per cent of Rs. 3380/- plus 0.21 percent basic pension in excess of Rs. 3380/-
(iii) Rs. 5421/- to Rs. 5770/-	0.25 per cent of Rs. 3380/ plus 0.21 percent of the difference between Rs. 5420/- and Rs. 3380/- plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs. 5420/-.
(iv) Above Rs. 5770/-	0.25 per cent of Rs. 3380/- plus 0.21 percent of the difference between Rs. 5420/- and Rs. 3380/- plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 5770/- and Rs. 5420/- plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 5770/-.

Provided that on or from the 1st day of May 2005 in the case of employees who retire on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner given below:

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs. 3550/-	0.24 per cent
(ii) Rs. 3551/- to Rs. 5650/-	0.24 per cent of Rs. 3550/- plus 0.20 per cent basic pension in excess of Rs. 3550/-
(iii) Rs. 5651/- to Rs. 6010/-	0.24 per cent of Rs. 3550/- plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650/- and Rs. 3550/- plus 0.12 of basic pension in excess of Rs. 5650/-
(iv) Above Rs. 6010/-	0.24 per cent of Rs. 3550/- plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650/- and Rs. 3550/- plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 6010/- and Rs. 5650/- plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 6010/-

(4) In respect of employees who retire on or after the 1st day of May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2002 but on or before 30th day of April 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2007, Dearness Relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

(5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(8) Dearness relief is not payable on additional pension.

(9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.".

10. For Appendix III to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"Appendix III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under :—

(a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before the 1st day of July, 1993 :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 1500/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 375/- per month.
Rs. 1501/- to Rs. 3000/-	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 450/- per month.
Above Rs. 3000/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 600/- per month and not more than Rs. 1250/- per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after the 1st day of July 1993 :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 2870/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 720/- per month.
Rs. 2871/- to Rs. 5740/-	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 860/- per month.
Above Rs. 5740/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1150/- per month and a maximum of Rs. 2400/- per month.

(c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of April, 1998 :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 4040/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1015/- per month.
Rs. 4041/- to Rs. 8080/-	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1212/- per month.
Above Rs. 8080/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1616/- per month and a maximum of Rs. 3378/- per month:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st day of October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Up to Rs. 4210/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1056/- p.m.
Rs. 4211/- to Rs. 8420/-	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1262/- p.m.
Above Rs. 8420/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1687/- p.m. and a maximum of Rs. 3521/- p.m.

(d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of the May 2005 :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 5720/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1435/- p.m.
Rs. 5721/- to Rs. 11440/-	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 1715/- p.m.
Above Rs. 11440/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2292/- p.m. and maximum of Rs. 4784/- p.m.

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2002 but on or before the 30th April 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

(e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November 2007 :—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 7090/-	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1779/- p.m.
Rs. 7091/- to Rs. 14180/-	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 2186/- p.m.
Above Rs. 14180/-	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2841/- p.m. and maximum of Rs. 5930/- p.m.

Notes :—

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of Pay as defined in clause (s) of regulation 2 and allowances as defined in the Explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.

(3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.

(4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

K VIRUPAKSHA
General Manager

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequently amended as under:—

SL. No.	Notification Number	Date
1	IRS G -228 9348	01.05.1999
2	IRS G- 228 (Corrigendum)	07.08.1999
3.	IRS 228 A 3812 RS	30.11.2002
4.	PW IRS 1 3513 2010	20.11.2010
5.	HRW IRS SJ 1 2305 2013	22.02.2014

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2018

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018

www.dop.nic.in

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally signed by LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2018.01.13 11:12:17 +05'30'